

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

वेबसाईट : wwwgmcbhopal

Phone Number – 0755 - 4050000

क्रमांक 11786-804 / एम.सी/एन.एच.एम. (6)/2021

भोपाल, दिनांक : 24/04/2021

// आदेश //

कोविड -19 महामारी की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म. प्र. के पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एच.आर./सेल-01/2021/6831 भोपाल, दिनांक 16-04-2021, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में रिक्त पद दंत शल्य चिकित्सक के लिये जारी विज्ञापन क्रमांक 11081/अधि./एन.एच.एम. (06)/2021 भोपाल, दिनांक 16-04-2021, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में दिनांक 19-04-2021 से दिनांक 23-04-2021 तक वॉक इन इन्टरव्यू कर, अस्थाई नियुक्ति दिनांक 31-05-2021 तक के लिये निम्नलिखित दंत शल्य चिकित्सक का चयन निश्चित मानदेय पर रु. 25,000/- पर नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम	पिता /पति का नाम	पदस्थापना स्थल
1.	डॉ. संदीप सिंह	श्री. ललन सिंह	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
2.	डॉ. हनी रोहरा	श्री. मुरलीधर रोहरा	
3.	डॉ. सुभान्शु वर्मा	श्री. हरि नारायण वर्मा	
4.	डॉ. गौरव विजयवर्गीय	श्री. दिनेश विजयवर्गीय	
5.	डॉ. निधि नेमा	श्री. नन्द किशोर नेमा	
6.	डॉ. हर्षा पाटिल	श्री. महादेव राव पाटिल	
7.	डॉ. श्रेयांश अहिरवार	श्री. राधाराम अहिरवार	

सेवा शर्तें

- उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल होंगे।
- यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में दिनांक 31-05-2021 तक के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तत्पश्चात् बिना आदेश प्राप्त किये निरंतर कार्य पर बने रहने पर अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी तरह के मानदेय के लिय प्राप्त नहीं होगा।
- इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जायेगा।
- अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ, अनुबन्ध एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर ही सेवा प्रदाता कार्य दायित्व संभालेगा।

5. अनुबंध (रु. 500/- स्टाम्प) निष्पादन करने वाला व्यय संबन्धित सेवा प्रदत्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
6. किसी भी तरह की असत्य जानकारी अनुशासनहीनता और कार्यस्थल की गोपनीयता भंग करने पर या अपराधीक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर कानुनी कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिती अंगोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय की एन.एच.एम. शाखा में पत्र जारी होने के दो दिवस में अनुबंध और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक.....11786-804/एम.सी/एन.एच.एम. (6)/2021 भोपाल, दिनांक : 24/5/2021
प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल आपके सन्दर्भित पत्र के संदर्भ में।
6. संभागयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल
8. अपर संचालक आई.डी.एस.पी. संचलानलय स्वास्थ्य सेवाए।
9. उप संचालक मानव संसाधन/लीगल एन.एच.एम. म.प्र. भोपाल।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल।
11. अधीक्षक, आर.आर.आई.डी. (क्षय) चिकित्सालय भोपाल।
12. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
13.संबधित कर्मचारी।
14. आदेश नस्ती।

॥
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल